न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 114/2023

कमलेश आयु 51 वर्ष पत्नी राम जी लाल जाति बावरी निवासी वार्ड न. 40 सुरेशिया हनुमानगढ़ जक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–प्रार्थीया–

बनाम

1. पतराम पुत्र जैसाराम पुत्र श्यामाराम जाति बावरी निवासी चक 1 डी बडी ओडकी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. शंकर पुत्र पूर्णराम पुत्र स्व. जैसाराम जाति बावरी निवासी 1 डी बडी ओडकी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. सुखादेवी पत्नी बीझाराम जाति बावरी निवासी 1 डी बडी ओडकी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. साहबराम पुत्र कमला पुत्री पूर्णराम जाति बावरी निवासी 1 डी बडी ओडकी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. पालाराम पुत्र कमला पुत्री स्व. पूर्णरान जाति बावरी निवासी 1 डी बडी ओडकी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. लिछमा पुत्री कमला पुत्री स्व. पूर्णराम जाति बावरी निवासी 1 डी बडी ओडकी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

—अप्रार्थीगण——

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री कुलदीप सिंह रमाणा —— प्रार्थीया
2. श्री रामनाथ भाटी —— अप्रार्थी सं. 1 ता 3
3. अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही जारी है।

–:: निर्णय :–

दिनांकः– 14/01/25

अधिवक्ता प्रार्थी श्री कुलदपी सिंह रमाणा द्वारा प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण निम्न प्रकार से है – यह कि अप्रार्थी पतराम आदि के द्वारा एक राजस्व वाद श्रीमान न्यायालय मे अन्तर्गत धारा 88, 188 आर टी ए के तहत प्रस्तुत किया गया था जो श्रीमान न्यायालय मे विचाराधीन है जिसमे उनके द्वारा कथन किया गया है कि तहसील पीलीबंगा के चक 2 एल जी डब्ल्यु के खाता स. 59 के प. न. 49/279(14) के किला न. 16 ता 25 व प. न. 49/280 (31) के किला न. 1 ता 3 की 3.289 हैक्टर व चक 3 एल जी डब्ल्यु के खाता स. 81 के प. न. 48/279(26) के किला न. 6/2/0.190, 15/0.253 कुल 0.317 हैक्टर कृषि भूमि मे अपने को भूरादेवी के वारिसान के आधार पर विरास्तन हक प्राप्त करने हेतू घोषणा व व्यादेश हेतू प्रस्तुत किया गया है जबकि उपरोक्त कृषि भूमि चक 2 एल जी डब्ल्यु के प. न. 49/279 (14) का किला न. 16 ता 25 व प. न. 49/[illegible] का किला न. 1 ता 3 की कुल 3.289 हैक्टर भूमि व चक 3 एल जी डब्ल्यु के [illegible] 279 (26) का किला न. 6/2/190, 15 की कुल 0.317 हैक्टर [illegible] भूरादेवी [illegible] सुखराम जाति बावरी निवासी लोगवाला के नाम दर्ज थी। भूरादेवी पत्नी सुखराम ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वेच्छा से रोबरू गवाहान दिनांक 25.08.1995 को अपनी एक वसीयत मुझ प्रार्थीया के पक्ष में निष्पादित की तथा भूरादेवी ने अपनी वसीयत को नोटेरी पब्लिक के समक्ष प्रस्तुत करके उसे तस्दीक करवाया है। भूरादेवी की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि मुझ प्रार्थीया के कब्जा काश्त में चली आ

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.22 12:05:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

रही है व प्रार्थीया भूरादेवी की मृत्यू के पश्चात से ही उपरोक्त कृषि भूमि का उपयोग व उपभोग करती चली आ रही है।

यह कि अप्रार्थीगण ने पूर्व मे भी प्रार्थीया की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने के आशय से प्रार्थीया के साथ मारपीट की व कब्जा करने का असफल प्रयास किया तो अप्रार्थीगण के विरूद्ध पुलिस थाना गोलूवाला मे एफ आई आर सं. 280/2020 दर्ज हुई जिसमे वाद जाच पुलिस ने मुलजिमान/अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा हाने से अन्तर्गत धारा 447, 323, 143, 324, 325, 147, 148, 149 आई पी सी मे आरोप पत्र श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट पीलीबंगा के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय मे स्टेट बनाम पतराम आदि मुकदमा सं. 136/2021 के रूप मे विचाराधीन है तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध पुलिस थाना गोलूवाला मे एफ आई आर. सं. 122/2020 हुई जिसमे वाद जाच पुलिस ने मुलजिमान/अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा हाने से अन्तर्गत धारा 447,323,143,325,341, 34 आई पी सी मे आरोप पत्र श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट पीलीबंगा के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय मे स्टेट बनाम खिराजराम आदि मुकदमा सं. 615/2020 के रूप मे विचाराधीन है तथा पुलिस थाना गोलूवाला द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रकरण सं. 01/2023 दर्ज कर अप्रार्थीगण को प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध मे लडाई झगडा नही करने हेतू पाबन्द किया गया है।

यह कि अप्रार्थीगण प्रार्थीया के परिवार के सदस्य है जिनके मन मे लालच आ गया है व प्रार्थीया को भूरादेवी की जरिये वसीयत प्राप्त हुई भूमि हडपना चाहते है व प्रार्थीया को प्रश्नगत भूमि से अप्रार्थीगण जबरन बेदखल करने को प्रयासरत है। प्रार्थीया भूरादेवी की वसीयत दिनांक 25.08.1995 के आधार पर भूरादेवी की मृत्यु के पश्चात से उक्त भूमि पर प्रार्थीया काबिज काश्त चली आ रही है। प्रार्थीया को उपरोक्त कृषि भूमि से अप्रार्थीगण जबरन बेदखल करने के लिये प्रयासरत होने से प्रार्थीया के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति के तीनो बिन्दू होने से प्रार्थीया अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की वादकालिन निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है कि अप्रार्थीगण श्रीमान न्यायालय मे विचाराधीन वाद अनवान पतराम आदि बनाम रामजी आदि के निर्णय तक प्रार्थीया की कृषि भूमि मे खडी फसल को किसी रूप मे नष्ट नही करे व प्रार्थीया को उसकी कृषि भूमि मे किसी रूप मे जबरन बेदखल करने से निषेध रहे।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैकि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण चक 2 एल जी डब्ल्यु के प. न. 49/279 (14) का किला न. 16 ता 25 व प. न. 49/280(31) का किला न. 1 ता 3 की कुल 3.289 हैक्टर भूमि व चक 3 एल जी डब्ल्यु के प. न. 48/279 (26) का किला न. 6/2/190, 15 की कुल 0.317 हैक्टर नहरी भूमि के प्रार्थीया द्वारा किये जा रहे उपयोग व उपभोग मे बाधा कारित नही करे तथा प्रार्थीया को उसकी भूमि से किसी रूप मे जबरन बेदखल करने से निषेध रहे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद आरसता रिपोर्ट रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या ... 3 की ओर से श्री राम नाथ भाटी अधिवक्ता हाजिर आये वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया शामिल पत्रावली है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.22 12:05:02 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में जवाब प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण की ओर से निम्न प्रकार से प्रस्तुत है–यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में दर्ज कथन कि मिन अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत करने व विवादित कृषि भूमि को मृतक भूरादेवी के वारिसान के आधार पर विरासतन हक प्राप्त करने

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

हेतु घोषणा व व्यादेश प्राप्त करने की हद तक स्वीकार है तथा मृतक भूरादेवी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार कृषि भूमि होने की हद तक स्वीकार है। शेष कथन कतई गलत व मनगढ़त होने के कारण अस्वीकार है। मृतक भूरादेवी पत्नी सुखराम ने अपने जीवनकाल में कभी भी अपनी स्वेच्छा से रूबरू गवाहान दिनांक 25.8.1995 को वसीयत प्रार्थीया के पक्ष में निष्पादित नहीं की बल्कि प्रार्थीया स्वयं द्वारा एक फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज वसीयतनामा दिनांक 25.8.1995 तैयार किया गया है जिसको शुन्य एवं निष्प्रभावी घोषित करवाने हेतु मिन अप्रार्थी द्वारा माननीय सिविल न्यायाधीश पीलीबंगा के समक्ष एक दीवानी वादपत्र बअनवान पतराम आदि बनाम कमलेश के नाम से प्र.सं. 52/2018 प्रस्तुत कर रखा है जिसके साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. में माननीय सिविल न्यायाधीश पीलीबंगा द्वारा अपने आदेश दिनांक 4.9.2016 अनुसार वसीयत दिनांक 25.8.1995 में वर्णित संपत्ति को किसी भी प्रकार से रहन, बैय नहीं करने हेतु प्रतिवादीया को पाबन्द किया हुआ है। उक्त विवादित कृषि भूमि पर प्रार्थीया का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा न ही प्रार्थीया द्वारा उक्त कृषि भूमि का उपयोग उपभोग किया गया है बल्कि मृतक सुखराम व उसकी पत्नी भूरादेवी की मृत्यु हो जाने के बाद अप्रार्थीगण व प्रार्थीया के पति मृतक रामजीलाल ने मिलकर संयुक्त रूप से वर्ष 1995 से लेकर लगातार बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक तरीके से काश्त की व अप्रार्थीगण अभी भी काश्त करते चले आ रहे हैं। इसलिए उक्त कृषि भूमि में अप्रार्थीगण का प्रतिकूल धारणा का अधिकार परिपक्व हो चुका है। अप्रार्थीगण हिन्दू विधि से शासित होते हैं इसलिए हिन्दू विधि के भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 ख में वारिसो की अनुसूचि के वर्ग 2 विनिर्दिष्ट अनुसार अप्रार्थीगण मृतक सुखराम के सगे भाई जसराम के वारिसान होने के कारण व सुखराम की पत्नी भूरादेवी के भी कानूनी व जायज वारिसान है। इसलिए कानूनी वारिसान होने की हैसियत से उक्त कृषि भूमि को विरासतन अपने नाम संयुक्त रूप से करवाने के अधिकारी है तथा इस आशय की घोषणात्मक आज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है कि मृतक सुखराम व भूरादेवी के अप्रार्थीगण कानूनी व जायज वारिसान है। इसलिए मृतक भूरादेवी के नाम उक्त कृषि भूमि को अपने नाम मृतक सुखराम के वारिसान के साथ संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में विरासतन नामान्तरण दर्ज कर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है ।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज कथन अस्वीकार है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने व मारपीट करने की कभी कोशिश नहीं की बल्कि प्रार्थीया स्वयं द्वारा अन्य व्यक्तियों से मिलकर पूर्व में अप्रार्थीगण की कब्जा काश्त की कृषि भूमि में जबरन दखलंदाजी कर कब्जा प्राप्त करने की कोशिश की गई थी तथा प्रार्थीया द्वारा मिन अप्रार्थीगण के विरूद्ध पुलिस थाना गोलूवाला में झूठे प्रकरण एफ.आई.आर. सं. 280/2020 व 122/2020 दर्ज करवाई जिसकी सुनवाई माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट पीलीबंगा के समक्ष लम्बित है। अप्रार्थीगण द्वारा भी प्रार्थीया के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट बअनवान पतराम आदि बनाम कमलेश आदि, मु.नं. 861/2019 पेश किया गया था जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.5.2019 जारी कर प्रार्थीया के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर विवादित कृषि भूमि पर उभयपक्षों की रिकार्ड व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष अभी लम्बित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.22 12:05:02 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में दर्ज कथन अप्रार्थीगण प्रार्थीया के परिवार के सदस्य होने के कथन स्वीकार है। प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 पतराम के छोटे भाई मृतक रामजीलाल की पत्नी है। शेष कथन कतई गलत होने के कारण अस्वीकार है। मृतक भूरादेवी द्वारा कभी भी वसीयत प्रार्थीया के पक्ष में निष्पादित ही नहीं की गई। इसलिए विवादित कृषि भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है व प्रथम दृष्टया मामला,

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति तीनों बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में साबित नहीं होते हैं। मौका पर विवादित कृषि भूमि में अप्रार्थीगण की फसल ग्वार खड़ी है तथा विवादित कृषि भूमि मन अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही होने से प्रार्थीया मिन अप्रार्थीगण के खिलाफ किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है । अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जावे।

—::आदेश::—

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत रकबा के संबंध में हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में उभय पक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा रही है प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित अराजी जरिये वसीयत दिनांक 25.08.1995 द्वारा प्रार्थीया के पक्ष में सम्पादित है। प्रार्थीया उक्त रकबा पर काबिज काश्त है प्रथम दृष्टया प्रकरण ,सुविधा का सन्तुलन एवं अपरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होते है। राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 14/01/25 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.22 12:05:02 IST
Reason: SelfAttested